द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2013

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

उच्च न्यायालय साक्ष्य नियम (पुस्तक सहित)--न्यायायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये।

समय--3.00 घंटे।

पूर्णांक--100

उत्तीर्णांक--60

Part-'A'/खंड-'क'

Objective type questions/ वस्तुनिष्ठ प्रश्न

*Each question carries **one mark**. Out of **four** options tick (✓) only one which you deem correct.*

प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। चार विकल्प में से एक विकल्प पर (✓) का निशान लगायें जिसे आप सही मानते हों।

50X1= 50

1. Classes of Criminal courts are--
   (*a*) Court of Session ☐
   (*b*) C.J.M. ☐
   (*c*) Judicial Magistrate First Class ☐
   (*d*) Judicial Magistrate of the Second Class. ☐

   क्रिमीनल न्यायालय की श्रेणी (वर्ग) है--
   (क) सत्र न्यायालय ☐
   (ख) सी0 जे0 एम0 ☐
   (ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ☐
   (घ) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। ☐

2. Every Judicial Magistrate shall be subordinate to the--
   (*a*) Session Judge ☐ (*b*) High Court ☐
   (*c*) Chief Judicial Magistrate ☐ (*d*) Distt. Magistrate. ☐

   प्रत्येक न्यायायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होगा--
   (क) सत्र न्यायाधीश ☐ (ख) उच्च न्यायालय ☐
   (ग) मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी ☐ (घ) जिलाधिकारी। ☐

3. Police Officer making any arrest under code shall not forthwith give the information regarding such arrest and place to any of his--
   (*a*) Friends ☐
   (*b*) Relative ☐
   (*c*) As may be disclosed or nominated by arrested persore ☐
   (*d*) Court. ☐

   गिरफ्तारी किये जाने के तुरत बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी के स्थान की सूचना निम्न में से किसे नहीं दी जायेगी गिरफ्तार व्यक्ति के--
   (क) दोस्त (मित्र) ☐
   (ख) रिश्तेदारों को ☐
   (ग) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा निदेशित या नामित व्यक्ति को ☐
   (घ) कोर्ट (न्यायालय) को। ☐

P.T.O.

4. Examination of arrested person by Medical Officer will be done--

(*a*) On request by arrested person

(*b*) On direction by Magistrate

(*c*) When examination of his body will afford evidence

(*d*) In general he shall be examined.

गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण किया जायेगा--

(क) गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर

(ख) मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किये जाने पर

(ग) जब ऐसे शारीरिक परीक्षण से साक्ष्य मिलता हो

(घ) सामान्यतः परीक्षण किया जायेगा ।

5. Warrant of arrest shall remain in force--

(*a*) Upto next date | (*b*) Three months

(*c*) During trial | (*d*) Until it is executed.

गिरफ्तारी का वारन्ट प्रभावी रहेगा--

(क) अगली तिथि तक | (ख) तीन माह तक

(ग) विचारण दौरान | (घ) जबतक निष्पादित न हो गया हो ।

6. Warrant of arrest may be executed under--

(*a*) Local Jurisdiction of Court

(*b*) Local Jurisdiction of District

(*c*) At any place in India

(*d*) Local Jurisdiction of High Court.

गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन किया जा सकता है--

(क) न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमा के अन्दर

(ख) जिला की स्थानीय सीमा तक

(ग) भारत में कहीं भी

(घ) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा में ।

7. Proclamation against absconded person be issued under Section.........of Cr.P.C.--

(*a*) 82 | (*b*) 83

(*c*) 151 | (*d*) 482.

फरार व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत जारी की जाती है--

(क) धारा 82 | (ख) धारा 83

(ग) धारा 151 | (घ) धारा 482 ।

8. Further investigation in respect of an offence after a report under Sec. 173(2) has been forwarded to the Magistrate, may conduct--

(*a*) With Permisstion of Magistrate | (*b*) With the Permisstion of S.P.

(*c*) Shall be deemed to preclude | (*d*) Nothing above required.

अन्वेषण अधिकारी द्वारा धारा दं0प्र0सं0 की धारा 173(2) के अन्तर्गत समर्पित रिपोर्ट के बाद अग्रिम अन्वेषण जारी रखा जा सकता है--

(क) न्यायालय के अनुमति से | (ख) पुलिस अधीक्षक की अनुमति से

(ग) माना जायेगा कि उसे ऐसी शक्ति से वंचित होगा | (घ) उपरोक्त कोई आवश्यक नहीं ।

9. Magistrates may take cognizance of any offence--

(*a*) Upon receiving a complaint which constitute such offence

(*b*) Upon a police report

(*c*) Upon information received from any person

(*d*) Upon all above.

मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है--

(क) परिवाद प्राप्त होने पर जिससे अपराध बनता हो

(ख) पुलिस रिपोर्ट पर

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा सूचना मिलने पर

(घ) उपरोक्त सभी परिस्थिति में ।

10. Magistrate shall not take cognizance except previous sanction of Govt. offence under Section..................of the I.P.C.--

(*a*) 153 A
(*b*) 295 A
(*c*) 505 (2), (3)
(*d*) All above.

भ0द0वि0 की किस धारा के अन्तर्गत होने वाले अपराध का संज्ञान बिना सरकार के स्वीकृति के नहीं ले सकेगा--

(क) धारा 153 ए
(ख) धारा 295 ए
(ग) धारा 505 (2) और (3)
(घ) उपरोक्त सभी में ।

11. When a case instituted on complaint, it is made to appear to the Magistrate during inquiry or trial held by him that an investigation by police is in progress inrelation to same offence, the Magistrate--

(*a*) Shall stay such inquiry or Trial

(*b*) May be stay such inquiry or Trial

(*c*) Such inquiry or Trial be going on

(*d*) Proceed further.

परिवाद पर मामला स्थापित होने पर ऐसे जाँच का विचारण के दौरान न्यायालय के ज्ञान में यह तथ्य आता है कि इन्हीं अपराध के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट--

(क) परिवाद की जाँच या विचारण रोक देगा

(ख) ऐसी जाँच या विचारण रोक सकता है

(ग) ऐसी जाँच या विचारण को जारी रखेगा

(घ) अग्रिम कार्यवाही करेगा ।

12. Any court may alter or add to any charge--

(*a*) Before Evidence start

(*b*) Before defence Evidence is closed

(*c*) Before statement u/s 313 of Cr.P.C.

(*d*) At any time before Judgement is pronounced.

कोई न्यायालय आरोप को परिवर्तित या जोड़ सकता है--

(क) साक्ष्य प्रारम्भ होने के पूर्व

(ख) बचाव पक्ष के साक्ष्य बंद होने के पूर्व

(ग) अभियुक्त के धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज के पूर्व

(घ) निर्णय दिये जाने के पूर्व कभी भी ।

13. A rescues B, a person in lawful custody and in so doing cause grievous hurt to 'C' a constable in whose custody 'B' was. A may be charged and convicted of offence u/s--

(*a*) 225 I.P.C. (*b*) 333 I.P.C.
(*c*) 225 & 333 I.P.C. (*d*) None above.

विधिपूर्ण हिरासत में रहे B को A छुड़ा देता है और ऐसा करने में A 'C' पुलिस कॉन्सटेबल जिसकी सुरक्षा में B था जान-बूझकर गम्भीर चोट पहुँचाता है A के विरुद्ध आरोप और दोषसिद्धी होगा अन्तर्गत धारा I.P.C.--

(क) धारा 225 (ख) धारा 333
(ग) धारा 225 और 333 (घ) उपरोक्त कोई नहीं ।

14. Trial of Summons cases by Magistrate is done under Section--

(*a*) 251-255 Cr.P.C. (*b*) 238-248 Cr.P.C..
(*c*) 260 Cr.P.C. (*d*) None of above.

मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन केसों का विचारण किया जायेगा अन्तर्गत धारा Cr.P.C..--

(क) 251-255 (ख) 238-248
(ग) 260 (घ) उपरोक्त कोई नहीं ।

15. In Summary trial no sentence of imprisonment for a term not exceeding................shall be passed--

(*a*) Six months (*b*) Three months
(*c*) Two years (*d*) One year.

संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धी पर अधिकतम सजा दी जा सकेगी--

(क) छः माह (ख) तीन माह
(ग) दो वर्ष (घ) एक वर्ष ।

16. Principle of Plea Bargaining shall not apply in Case of--

(*a*) Women (*b*) Any Juvenile
(*c*) Murder (*d*) All above cases.

Plea Bargaining का सिद्धान्त लागू नहीं होगा--

(क) स्त्री के मामले में (ख) अवयस्क के मामले में
(ग) हत्या के मामले में (घ) उपरोक्त सभी मामले में ।

17. Magistrate can direct any person to give specimen signatures or handwrighting to--

(*a*) Any accused
(*b*) Witnesses
(*c*) Investigation Officer
(*d*) Any person who has at some time been arrested in connection of such investigation of proceeding.

मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अपना हस्ताक्षर या हस्तलिपि देने का निदेश दे सकता है जो--

(क) अभियुक्त हो
(ख) साक्षी हो
(ग) अन्वेषण अधिकारी हो
(घ) कोई व्यक्ति जो ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के दौरान कुछ समय के लिये गिरफ्तार किया गया हो ।

18. How many Sections are in Indian Evidence Act--

(*a*) 167 (*b*) 482
(*c*) 176 (*d*) 165.

भारतीय साक्ष्य विधि में कितनी धाराएँ हैं--

(क) 167 (ख) 482
(ग) 176 (च) 165 ।

19. A is accused of the murder of B by beating him, whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after is a relevant fact under Section.........of Evidence Act--

(*a*) 6 ☐ (*b*) 9 ☐

(*c*) 5 ☐ (*d*) 11. ☐

A पर आरोप है B की मार-मार कर हत्या करने का A द्वारा या B द्वारा या वहाँ उपस्थित व्यक्ति द्वारा ऐसी मारपीट के क्रम में जो कुछ कहा गया, किया गया या तुरन्त पूर्व या बाद किया कथन या कार्य सुसंगत होगा भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा--

(क) 6 ☐ (ख) 9 ☐

(ग) 5 ☐ (घ) 11 । ☐

20. A is trialed for the murder of B, The fact that A murdered C and B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make him knowledge to public are relevent under Section............of Evident Act--

(*a*) 6 ☐ (*b*) 8 ☐

(*c*) 9 ☐ (*d*) 11. ☐

A का विचारण B की हत्या के लिये हो रहा है, यह तथ्य कि A ने C की हत्या की थी और B इस तथ्य को जानता था और इस तथ्य को लोक के ज्ञान में लाने की धमकी देकर B, A से धन की माँग करता था, सुसंगत है साक्ष्य अधिनियम की धारा--------के अन्तर्गत--

(क) 6 ☐ (ख) 8 ☐

(ग) 9 ☐ (घ) 11 । ☐

21. The Evidence of Test Identification is relevant under Section................of Evidence Act--

(*a*) 5 ☐ (*b*) 9 ☐

(*c*) 10 ☐ (*d*) 6. ☐

Test identification का साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत है, अन्तर्गत धारा--

(क) 5 ☐ (ख) 9 ☐

(ग) 10 ☐ (घ) 6 । ☐

22. A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at 'B' may be proved as relevant under Section--

(*a*) 14 ☐ (*b*) 6 ☐

(*c*) 9 ☐ (*d*) 11. ☐

A पर आरोप है कि B को जान से मारने की आशय से गोली फायर किया । A के आशय को दिखाने के लिये तथ्य कि A ने पूर्व में भी B पर हमला किया था, साबित किया जा सकता है जो सुसंगत है, अन्तर्गत धारा--

(क) 14 ☐ (ख) 6 ☐

(ग) 9 ☐ (घ) 11 । ☐

23. An admission is......................Evidence--

(*a*) Conclusive proof ☐ (*b*) Substantive ☐

(*c*) Relevant ☐ (*d*) None of above. ☐

स्वीकृत साक्ष्य का..............................--

(क) निश्चायक सबूत है ☐ (ख) पृथक सबूत है ☐

(ग) सुसंगत है ☐ (घ) उपर्युक्त कुछ नहीं । ☐

24. A is in trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B. And that B said A and X murdered C. Statement of B will not consider as confession because--

(*a*) Not jointly trial

(*b*) B statement not effecting himself

(*c*) *(a)* and *(b)*

(*d*) None of above.

C की हत्या के लिये A का विचारण किया जा रहा है । इस बात का साक्ष्य है कि C की हत्या A और B ने की है । B कथन करता है कि A और X ने C की हत्या की है, B का कथन संस्वीकृत नहीं माना जायेगा क्योंकि--

(क) B का संयुक्त विचारण नहीं हो रहा

(ख) B का कथन स्वयं को प्रभावित नहीं करता

(ग) (क) और (ख) दोनों

(घ) उपरोक्त कोई नहीं ।

25. In civil cases character of any person is--

(*a*) Relevant

(*b*) Such as to affect the amount of damages is relevant

(*c*) Always relevant

(*d*) *(a)* and *(c)*.

दीवानी मामलों में किसी व्यक्ति का चरित्र--

(क) सुसंगत है

(ख) उतना ही सुसंगत होगा जिससे क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित होती है

(ग) सदैव सुसंगत होगा

(घ) (क) एवं (ग) ।

26. In Criminal Case Character of Accused Person is--

(*a*) Good character is relevant

(*b*) Bad character not relevant

(*c*) Bad character is relevant if evidences of good character has been given

(*d*) All above.

आपराधिक मामलों में अभियुक्त का चरित्र--

(क) अच्छे आचरण का सुसंगत है

(ख) बुरा चरित्र सुसंगत नहीं

(ग) बुरा चरित्र का साक्ष्य तभी सुसंगत होगा जब अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जा चुका हो

(घ) उपरोक्त सभी ।

27. Fact which need to be proved--

(*a*) Laws in force in India

(*b*) Facts admitted by parties

(*c*) Public Acts passed by parliament

(*d*) All customs.

तथ्य जिसे साबित किया जाना आवश्यक हो है--

(क) भारत में प्रचलित विधियां

(ख) पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य

(ग) संसद द्वारा पारित लोक अधिनियम

(घ) सभी रीतियां ।

28. Not is Secondary Evidence--
(*a*) Documents itself
(*b*) Certified copy
(*c*) Copies made from or compared with original
(*d*) Copies made from original by Mechanical Processes.
द्वितीय साक्ष्य नहीं है--
(क) दस्तावेज स्वयं
(ख) प्रमाणित प्रतिलिपि
(ग) मूल दस्तावेज से तैयार एवं मिलान की गई प्रति
(घ) तकनीकी प्रक्रिया द्वारा मूल से तैयार प्रति ।

29. A agrees in writing to sell a scooter to 'B' for Rs. 10,000 or Rs. 15,000 can evidence be given for which price was to be given--
(*a*) Yes
(*b*) No
(*c*) Agreement is ambiguos
(*d*) (*b*) & (*c*).
A अपना स्कूटर B को बेचने का लिखित करार प्रतिफल 10,000 रु० या 15,000 रु० में करता है । क्या इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि कौन-सा प्रतिफल दिया जाना था--
(क) जी हां
(ख) नहीं
(ग) करार सन्देहास्पद है
(घ) (ख) एवं (ग) ।

30. A is charged with travelling on a railway without ticket. The Burden of proving that he had a ticket is on him under Section--
(*a*) 106
(*b*) 101
(*c*) 104
(*d*) None above.
A पर आरोप है बिना टिकट रेलवे यात्रा करने का/A के पास रेलवे टिकट था यह साबित करने का भार A पर ही होगा, अन्तर्गत धारा--
(क) 106
(ख) 101
(ग) 104
(घ) उपरोक्त कोई नहीं ।

31. A client says to 'B' an advocate "I wish to obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue" The aforesaid communication is under Section 126 Evidence Act--
(*a*) Protected
(*b*) Not protected
(*c*) Discretion of Court
(*d*) No any provision.
A मोवक्किल B अधिवक्ता से कथन किया कि "मैं चाहता हूँ कि आप एक कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर सम्पत्ति पर कब्जा लेना है, इसपर आप वाद दाखिल करें, क्या यह वार्तालाप/कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत--
(क) सुरक्षित होगा
(ख) सुरक्षित नहीं होगा
(ग) न्यायालय की स्वेच्छा पर निर्भर
(घ) ऐसा कोई प्रावधान नहीं ।

32. How many minimum under of witness shall in any case be required for proof of any fact--
(*a*) Three
(*b*) Five
(*c*) No particular number
(*d*) Discretion of Court.
किसी तथ्य को साबित करने के लिये कितने साक्षियों को कथन के आवश्यकता होगी--
(क) तीन
(ख) पाँच
(ग) कोई निश्चित संख्या प्रावधानित नहीं
(घ) न्यायालय के विवेक पर ।

33. Judges power to put question or order the production of any document or thing. In any form, at any time of any witness or parties under which provision of Evidence Act--
(*a*) Sec. 165
(*b*) Sec. 101
(*c*) Sec. 167
(*d*) Sec. 131.
न्यायाधीश को किसी भी समय, किसी भी तरह से, किसी गवाह या पक्ष से कोई भी प्रश्न पूछने या कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने का आदेश की शक्ति साक्ष्य अधि० की धारा--
(क) 165
(ख) 101
(ग) 167
(घ) 131 ।

34. An accomplice be a--

(*a*) Competent witness

(*b*) Shall not be competent witness

(*c*) A coniviction is not illegal

(*d*) *(a)* and *(c)*.

एक सह-अपराधी--

(क) सक्षम साक्षी है

(ख) सक्षम साक्षी नहीं होगा

(ग) ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धी अवैध नहीं

(घ) (क) और (ग) ।

35. Decree not includes--

(*a*) Rejection of a plaint

(*b*) Determination any question u/s 144

(*c*) Order of dismissal for default

(*d*) Adjudication of right of parties.

डिक्री में सम्मिलित नहीं है--

(क) वादपत्र का निरस्तीकरण

(ख) धारा 144 के अन्तर्गत निर्णित कोई प्रश्न

(ग) अक्षम दोषी में खारिज आदेश

(घ) पक्षों के अधिकार/हित से सम्बन्धित निर्णित बिन्दु ।

36. Principal of res judicata is not applicable--

(*a*) Any relief claimed, which is not expressly granted by the decree

(*b*) An erroneous decision on jurisdiction

(*c*) In the former suit matter have been alleged by one party and denied or admitted by the other.

(*d*) Amongs co-defendents where conflicts of interest between co-defendents.

रेस जुडिकेटा का सिद्धांत नहीं लागू होगा--

(क) जहां दावा किया गया कोई बिन्दु डिग्री में स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं हुआ

(ख) क्षेत्राधिकार से बाहर पारित निर्णय

(ग) पूर्व वाद में एक पक्ष द्वारा उठाया मामला जो दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार या आपत्ति/विरोध किया गया हो ।

(घ) प्रतिवादियों के बीच निर्णित बिन्दु जहाँ प्रतिवादियों के बीच ही परस्पर विवाद रहा हो ।

37. A resides at Simla, B resides at Calcutta, C resides at Delhi. A, B and C are together at Banaras. B and C make a joint promissorry note and delivers it to A for that A may sue--

(*a*) Calcutta (*b*) Delhi

(*c*) Banaras (*d*) Any one place.

A शिमला में रहता है, B कलकता में रहता है, C दिल्ली में रहता है, A, B और C बनारस में साथ-साथ है, वहाँ B और C संयुक्त रूप से प्रोमिसरी नोट A को मांग पर देय होगा, देते हैं इसके लिये A वाद कर सकता है--

(क) कलकत्ता (ख) दिल्ली

(ग) बनारस (घ) उपरोक्त किसी एक स्थान पर ।

38. Provision under CPC for place of civil suit shall be instituted--

(*a*) u/s 15--20 (*b*) Order1 rules 10

(*c*) u/s 21 (*d*) No such provision.

वाद लाने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का प्रावधान सी0पी0सी0 में--

(क) धारा 15 से 20 (ख) आदेश 1 रूल्स 10

(ग) धारा 21 (घ) ऐसा कोई प्रावधान नहीं ।

39. Civil Court may compel the attendance of any person to whom summons has been issued and for that he may--

(*a*) Issue a warrant

(*b*) Attach his property

(*c*) Impose fine not exceeding Rs 5000

(*d*) Impose fine not exceeding Rs. 500.

दीवानी न्यायालय ऐसे पक्षकार के जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया जा चुका है, उपस्थिति के लिये--

(क) वारण्ट जारी कर सकता है

(ख) सम्पत्ति कुर्क कर सकता है

(ग) 5000 रु0 से अनधिक का दण्ड अधिरोपित कर सकता है

(घ) 500 रु0 से अनधिक का दण्ड अधिरोपित कर सकता है ।

40. Court may make an order for costs to pay other party for causing delay under--

(*a*) Sec. 35 (*b*) Sec. 151

(*c*) Sec.35 (B) (*d*) No such power.

मुकदमें में देरी करने के एवज में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के भुगतान का आदेश न्यायालय दे सकता है, अन्तर्गत धारा--

(क) 35 (ख) 151

(ग) 35 B (घ) ऐसा कोई प्रावधान नहीं ।

41. In execution of a decree for the payment of Rs. 1 Lakh, detention in civil prison not exceeds--

(*a*) 3 months

(*b*) 1 year

(*c*) Six week

(*d*) Discretion of court.

एक लाख रु0 भुगतान सम्बन्धी डिक्री के पालन में किसी सिविल हिरासत में अधिकतम--

(क) तीन माह

(ख) 1 वर्ष

(ग) छ: सप्ताह

(घ) न्यायालय के विवेक पर निरुद्ध किया जा सकता है ।

42. A lets B a house at a yearly rent of Rs. 1,200. The rent for the whole of the years 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. A sues B in 1908 for rent due for 1906. Can A shall afterwards sue for rent due for 1905 and 1908--

(*a*) No

(*b*) Yes

(*c*) With permission of court

(*d*) With permission of Distt. Judge.

A, B को अपना मकान 1,200 वार्षिक किराये पर देता है । वर्ष 1905, 1906 एवं 1907 का किराया बकाया हो जाता है । A वर्ष 1908 में केवल वर्ष 1906 के बकाये राशि का वाद लाता है । क्या उक्त वाद के निस्तारण के बाद A वर्ष 1905 एवं 1907 के बकाया का वाद कर सकता है--

(क) नहीं

(ख) ला सकता है

(ग) न्यायालय की अनुमति से

(घ) जिला न्यायाधीश की अनुमति से ला सकता है ।

43. Particulars to be contained in plaint--

(*a*) Relied which the plaintiff claim

(*b*) Case of defendent

(*c*) Facts constituting the cause of Action

(*d*) Facts showing the jurisdiction of Court.

वादपत्र में निम्न तथ्य होने चाहिये--

(क) वादी द्वारा मांग की गई अनुरोध

(ख) प्रतिवादी का केस

(ग) वाद हेतु से सम्बन्धित तथ्य

(घ) न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिखाने वाले तथ्य।

44. The plaint shall be rejected except--

(*a*) Cause of action does not disclose

(*b*) Barred by any law

(*c*) Claim is under valued

(*d*) Claim is poperly valued but insufficienty stamped and on being required by court, fail to do so.

वादपत्र निरस्त हो जायेगा सिवाय--

(क) वाद हेतु प्रदर्शित न हो

(ख) विधि द्वारा बाधित हो

(ग) दावे का मूल्यांकन कम हो

(घ) दावे का मूल्यांकन उचित हो परन्तु स्टाम्प पर्याप्त न हो और न्यायालय द्वारा निदेश दिये जाने के बाद भी ऐसा करने में असफल रहा हो।

45. A and B sue C for Rs. 1,000. Can C set off a debt due to him alone by A--

(*a*) Yes

(*b*) No

(*c*) With permission of court

(*d*) With permission of A.

A एवं B रु0 1,000 के लिये वाद C पर लाते हैं, C का B पर कुछ राशि बकाया है, क्या C अकेले A से Set off मुजारा कर सकता है--

(क) कर सकता है

(ख) नहीं कर सकता

(ग) न्यायालय की अनुमति से मुजारा कर सकता है

(घ) A, B की सहमति से मुजरा कर सकता है

46. Plaintiff may bring fresh suit or court may apply for an order to set the dismissal aside under order 9 rule 4 where --

(*a*) Suit is dismissed under order 9 rule 2

(*b*) Suit in dismisssed under order 9 rule 3

(*c*) Suit is dismissed under order 9 rule 8

(*d*) *(a)* and *(b)* both circumstances.

वाद के खारिज हो जाने पर नया वाद या उक्त वाद के पुनर्स्थापना का प्रार्थना पर अन्तर्गत आदेश 9 रूल्स 4 के तहत लाया जा सकता है जहाँ--

(क) खारिज आदेश अन्तर्गत 9 रूल्स 2 में पारित है

(ख) खारिज आदेश अन्तर्गत 9 रूल्स 3 में पारित है

(ग) खारिज आदेश अन्तर्गत 9 रूल्स 8 में पारित है

(घ) (क) एवं (ख) दोनों परिस्थिति में।

47. Court may return documents which has been produced by parties except one--

(*a*) In admissible document

(*b*) Admitted documents where suit is one in which an appeal not allowed

(*c*) Document which, by force of the decree has become wholly void

(*d*) Admitted documents where a suit is one in which an appeal is allowed but time for preferring appeal has elapsed.

पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेज लौटाया जा सकता है सिवाय एक के--

(क) अस्वीकृत दस्तावेज

(ख) स्वीकृत दस्तावेज ऐसे वाद में जिसके विमर्श अपील मान्य नहीं है

(ग) दस्तावेज जो न्यायालय की डिक्री के प्रभाव से अवैध हो गया है

(घ) स्वीकृत दस्तावेज ऐसे वाद में दाखिल हो जहाँ अपील मान्य है परन्तु अपील करने का समय समाप्त हो गया हो ।

48. After hearing and before judgement sole plaintiff died there shall be--

(*a*) Abatement

(*b*) No abatement

(*c*) Judgement be pronounced

(*d*) *(b)* and *(c)*.

सुनवाई के पश्चात् परन्तु निर्णय के पूर्व एकमात्र वादी की मृत्यु होने पर वाद--

(क) हो जायेगा

(ख) नहीं होगा

(ग) निर्णय घोषित किया जायेगा

(घ) (ख) और (ग) ।

49. A person is an indigent person--

(*a*) If he is not sufficient means to enable him to pay fee for the plaint

(*b*) If he is not entitled to property worth Rs. 1,000

(*c*) Property which he acquired before decision of the application shall not be taken into account.

(*d*) *(a)* and *(b)*.

एक व्यक्ति अकिंचन होगा यदि--

(क) उसके पास वादपत्र दाखिल के लिये निर्धारित फीस भुगतान करने का पर्याप्त साधन न हो

(ख) उसके पास 1,000 रु0 से अनधिक मूल्य की अन्य कोई सम्पत्ति न हो

(ग) अकिंचन प्रार्थना पर आदेश के पूर्व जो सम्पत्ति प्राप्त कर ली हो उसकी गणना नहीं होगी

(घ) (क) और (ख) ।

50. In interpleader suit following facts in plaint are stated except one--

(*a*) Plaintiff claim no interest other than for charge of costs

(*b*) Claim made by defendents saverally

(*c*) No collusion between parties

(*d*) Advocate General may institute a suit.

अन्तर अभिवचनीय वाद में निम्न तथ्य आवश्यक है सिवाय एक के--

(क) वादी का विवादित सम्पत्ति पर कोई दावा न हो सिवाय प्रभाव व खर्चे के

(ख) प्रतिवादियों के बीच परस्पर दावा हो

(ग) पक्षों के बीच में षडयन्त्र नहीं है

(घ) एडवोकेट जनरल द्वारा वाद लाया गया हो ।

Part-'B'/खंड-'ख'

Short answer type questions/ लघु उत्तरीय प्रश्न

*Answer any **four** questions. Each question carries 10 marks.*

किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न पर अधिकतम 10 अंक निर्धारित है । 4X5=20

1. On which ways credit of a witness may be impeached ?
   किन आधारों पर साक्षी की साख पर अधिक्षेप किया जा सकता है ?
2. Refreshing Memory.
   यादास्त ताजा करना ।
3. Representing Suit.
   प्रतिनिधित्व वाद ।
4. Substituted Service.
   स्थानापन्न सर्विस ।
5. Return plain.
   वादपत्र का वापस लौटाना ।
6. Difference between inquiry and trial.
   जाँच एवं विचारण में अन्तर ।
7. Complaint.
   परिवाद ।

Part-'C'/खंड-'ग'

Long answer type questions/ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

*Answer any **three** question. All questions carries 10 marks.*

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दें । अधिकतम 10 अंक निर्धारित है । 10X3=30

1. What is the Evidencery value of F.I.R. under Evidence Act ?

   प्रथम सूचना रिर्पोट का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या संक्षिप्त महत्त्व है ?

2. When is Character relevant in Civil and Criminal cases ? Explain with provisions.

   शील कब सुसंगत है, सिविल एवं क्रिमिनल मामलों में ? प्रावधानों सहित व्याख्या करें ?

3. Explain Trial on complaint with provision under Sec. Cr.P.C..

   दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद पत्र पर विचारण सम्बन्धी प्रावधान का वर्णन करें ।

4. Explain Dying declaration, When it is relevant ? Explain.

   मृत्युकालीन कथन क्या है, कब सुसंगत होता है ? व्याख्या करें ।

5. What is the Secondary Evidence ? When the Secondary Evidence relating to documents may be given ?

   द्वितीय साक्ष्य क्या है ? दस्तावेज का द्वितीय साक्ष्य किन परिस्थितियों में ग्राह्य है ?